न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील ग्वालियर खण्ड

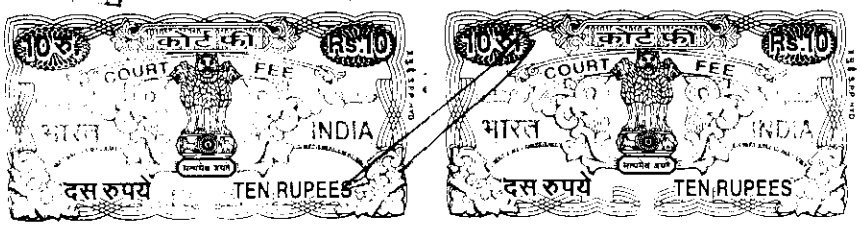

1 कोर्ट भोपाल

आशीष कुमार अग्रवाल आ0 रमेशचन्द अग्रवाल
निवासी नारायणगंज होशंगाबाद तह0 व जिला होशंगाबाद .....पुनरीक्षणकर्त्ता

बनाम

1डा0डी0पी गौर आ0हटेराम गौर मृतक के वारसान
1अ देवदत्त गौर आ0श्री डा0डी0पी गौर
1ब लवलेश गौर आ0 श्री डा0डी0पी गौर
1स स्नेहलता पुत्री श्री डा0डी0पी गौर
1द श्रद्धा गौर पुत्री श्री डा0डी0पी गौर
1इ श्रीमति गौर पत्नि श्री डा0डी0पी गौर
सभी निवासी आनन्द नगर होशंगाबाद तह0 व जिला होशंगाबाद.....उत्तरदातागण

पुनरीक्षण याचिका अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता

पुनरीक्षणकर्त्ता यह पुनरीक्षण याचिका माननीय न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त तहसीलदार(इदिरा चौहान)रा0प्र0क.01/अ–13/02.03 पक्षकार डा0डी0पी0गौर बनाम कैलाश नारायण गौर मे पारित आदेश दिनॉक 02.11.06 एवं अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद आशीष अग्रवाल बनाम डा0डी.पी.गौर व अन्य राजस्व अपील क015 अपील वर्ष 2006.07 मे पारित आदेश दिनॉक 11.06.07 जिसकी द्वितीय अपील न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद आशीष कुमार बनाम डी.पी.गौर अपील कमॉक 27अ/07.08 मे पारित आदेश दिनॉक 24.07.2014 से क्षुद्ध एवं व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3111–पीबीआर/14 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–10–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 24–7–14 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत स्थल निरीक्षण किया जाकर उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है । स्थल निरीक्षण में सर्वे कमांक 513 पर जाने हेतु आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 512/1 से रूढ़िगत रास्ता पाया गया है, जिसकी पुष्टि मौके पर ग्रामवासियों द्वारा भी गई है, और अनावेदकगण को अपनी भूमि पर पहुंचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध नहीं है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानों के अनुकूल होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष	